

विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-44/15

मेसर्स मंगलम प्रोसेसर्स
बुरहानपुर म.प्र.

– आवेदक

विरुद्ध

अधीक्षण यंत्री
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., बुरहानपुर म.प्र.

– अनावेदक

कार्यपालन यंत्री (शहर संभाग)
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., बुरहानपुर म.प्र.

आदेश

(दिनांक 02.07.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक 0047/2006 मेसर्स मंगलम प्रोसेसर्स बुरहानपुर विरुद्ध अधीक्षण यंत्री (संचा/संधा) संभाग, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. खण्डवा एवं अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 14.04.2006 के विरुद्ध एवं माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश दिनांक 24.02.2016 के पालन में उपभोक्ता की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00-44/15 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया।

03 दिनांक 06.06.2016 को तर्क के दौरान आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अनावेदक द्वारा अप्रैल 2003 से अक्टूबर 2003 की अवधि की लो पावर फैक्टर सरचार्ज की वसूली वर्ष 2005-06 में आडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी की है जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के प्रावधान के विपरीत होते हुए काल वाधित है। अतः यह वसूली निरस्त की जाए।

04 इस संबंध में अनावेदक द्वारा बताया गया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के विरुद्ध अपीलीट ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा अपील क्रमांक 202 एवं 203 वर्ष 2006 अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. विरुद्ध मेसर्स सिसोदिया मारवल एवं ग्रेनाईट्स प्रा.लि. में पारित आदेश के पैरा 17 में निम्नानुसार राय दी गई –

"Thus, in our opinion, the liability to pay electricity charges is created on the date electricity is consumed or the date the meter reading is recorded or the date meter is found defective or the date theft of electricity is detected but the charges would become first due for payment only after a bill or demand notice for payment is sent by the licensee to the consumer. The date of the first bill/demand notice for payment, therefore, shall be the date when the amount

shall become due and it is from that date the period of limitation of two years as provided in Section 56(2) of the Electricity Act, 2003 shall start running."

चूंकि इस प्रकरण में आवेदक के द्वारा सहमति पत्र दिये जाने के पश्चात ही पावर फैक्टर सरचार्ज की राशि उनकी अनुमति से विद्युत देयकों में नहीं जोड़ी गई थी। अंकेक्षण दल द्वारा अप्रैल 2003 से अक्टूबर 2003 की अवधि में निम्न पावर फैक्टर की बिलिंग नहीं करने के कारण रिकवरी निकाली गई है एवं अंकेक्षण रिपोर्ट दिनांक 16.11.2005 को भेजी गई जिसका कि देयक क्षेत्रीय लेखाधिकारी, खण्डवा द्वारा दिनांक 16.1.2006 को आवेदक को दिया दिया गया। इस प्रकार रिकवरी निकालने के दो माह के पश्चात ही देयक आवेदक को दिया गया। अतः रिकवरी की राशि वसूल करने की समय-सीमा 16.11.2005 से प्रारंभ होती है। अतः उपरोक्त न्याय दृष्टांत से सहमत होते हुए आवेदक की आपत्ति खारित करते हुए प्रकरण में सुनवाई जारी रखी गई।

05 तर्क के दौरान आवेदक द्वारा बताया गया कि –

अ अनावेदक द्वारा उन्हें 145 एच.पी. का निम्नदाब विद्युत कनेक्शन दिया गया था जिसे वर्ष 2013 में निम्नदाब से उच्चदाब कनेक्शन में परिवर्तित करने हेतु सूचना जारी की गई।

ब आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि वर्ष 2003 में उनके निम्नदाब विद्युत कनेक्शन को उच्चदाब विद्युत कनेक्शन के अनुसार बिलिंग में परिवर्तित करते समय सही मीटर की स्थापना नहीं की गई थी जबकि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 55 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को ही सही मीटर लगाने की जबाबदारी थी।

06 तर्क के दौरान आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि अनावेदक को निम्नदाब विद्युत कनेक्शन से उच्चदाब विद्युत कनेक्शन में परिवर्तित करते समय ऐसा मीटर स्थापित किया जाना था जिससे कि इंस्टैंटेनियस (instantaneous) पैरा मीटर को देखा जा सके। परन्तु अनावेदक द्वारा इस मुताबिक मीटर नहीं लगाया गया जिससे कि आवेदक के परिसर में क्या पावर फैक्टर अभिलेखित हो रहा है एवं उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इससे अवगत नहीं हो सका। जबकि निम्नदाब विद्युत कनेक्शन के समय उनके द्वारा नियमानुसार मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 6.15 के अनुसार उचित क्षमता के कैपेसिटर की स्थापना की गई थी। जिसके कारण निम्नदाब विद्युत कनेक्शन के विरुद्ध निम्न पावर फैक्टर सरचार्ज की वसूली देयक में नहीं की जा रही थी।

07 आवेदक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि चूंकि उनके निम्नदाब कनेक्शन को उच्चदाब कनेक्शन में परिवर्तित करते समय इंस्टैंटेनियस (instantaneous) पैरा मीटर देखने वाला मीटर स्थापित नहीं किया था अतः माह के अंत में एवरेज पावर फैक्टर के आधार पर लो पावर फैक्टर की सरचार्ज की वसूली नहीं की जा सकती अतः की गई वसूली निरस्त करने योग्य है।

08 अनावेदक द्वारा अपने तर्क में एवं लिखित वहस में अवगत कराया गया कि उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र (एनेक्सर-1) के आधार पर मार्च 2003 से अक्टूबर 2003 की अवधि में उपभोक्ता के विद्युत देयकों में पावर फैक्टर का उल्लेख नहीं किया गया और न ही सरचार्ज की बिलिंग की गई। परन्तु मुख्य अभियंता (वाणिज्य) द्वारा जारी पत्र (एनेक्सर-2) के आधार पर नवंबर 2003 से पावर फैक्टर की बिलिंग की जाना प्रारंभ की गई।

09 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.11.2002 जिसके तहत उपभोक्ता का संयोजन निम्नदाब से उच्चदाब में परिवर्तित किया जाना था वह अधिसूचना

दिनांक 19.12.2002 से प्रभावशील हो चुकी थी। इसी दौरान उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र के आधार पर माह मार्च 2003 से अक्टूबर 2003 की अवधि में उपभोक्ता के देयक में पावर फैक्टर का उल्लेख नहीं किया गया। चूंकि, उच्चदाब देयक पूर्व में भी कंप्यूटर से बनाये जाते थे तथा उसमें दर्ज प्रोग्राम के अनुसार यदि मासिक देयक में माह के दर्ज पावर फैक्टर को पंच किया जाता तो देयक में लो पावर फैक्टर सरचार्ज की राशि स्वतः ही जुड़ जाती एवं जैसा कि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 24.3.2003 के सहमति पत्र में लेख किया गया है कि, उस आधार पर देयक का आंशिक भुगतान किया जाता। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के उस माह के देयक का भुगतान "आंशिक भुगतान" की श्रेणी में आता तथा माह के संपूर्ण देयक राशि पर भुगतान दिनांक तक अधिभार अधिरोपित होता रहता। इसी लिए उपभोक्ता के मासिक बिल माह मार्च 2003 से अक्टूबर 2003 तक प्रत्येक बिल में उस माह का पावर फैक्टर सहमति पत्र के आधार पर पावर फैक्टर ना दर्शाते हुए शून्य पावर फैक्टर लिख कर दिया गया। एवं तत्पश्चात प्रतिअपीलार्थी कंपनी के अतिरिक्त मत्स्य अभियंता (वाणिज्य) के पत्र क्रमांक 7308 दिनांक 7.11.2003 से उपभोक्ता के बिल में पावर फैक्टर इन्द्राज कर राशि जोड़े जाने संबंधी निर्देश के परिपालन में माह नवंबर 2003 से उपभोक्ता के मासिक देयक में पावर फैक्टर सरचार्ज की राशि जोड़ी जानी शुरू हुई।

10 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि प्रतिअपीलार्थी कंपनी के क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, खण्डवा द्वारा उपभोक्ता को जारी मासिक देयक दिनांक 16.1.2006 से राशि रुपये 60,366/- की मांग ज्वाइन्ट डायरेक्टर, आडिट, जबलपुर के पत्र क्रमांक 02-05/एच.टी./टी.ए./2/6431 दिनांक 16.11.2005 द्वारा प्रस्तावित अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर आडिट रिकवरी कमेटी द्वारा निकाली गई माह अप्रैल 2003 से अक्टूबर 2003 तक की अवधि के लो पावर फेक्टर सरचार्ज की रिकवरी के आधार पर की गई जो कि मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 9.12 के आधार पर उचित एवं नियमानुसार है। जिसका वि.उ.शि.नि.फो. इंदौर के प्रकरण क्रमांक 47/2006 मेसर्स मंगलम प्रोसेसर्स विरुद्ध वि.वि.कं. बुरहानपुर में पारित आदेश क्रमांक 0215 दिनांक 10.04.2006 के परिपालन में क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, खण्डवा द्वारा पुनरीक्षण किया जाकर पत्र क्रमांक 2294 दिनांक 19.05.2006 से राशि रु. 54,382/- का बिल जारी किया गया।

11 अनावेदक द्वारा बताया गया कि निम्नदाब कनेक्शन को उच्चदाब कनेक्शन में परिवर्तित करते समय आवेदक द्वारा स्वयं का ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं किये जाने से एच.टी. साईट मीटरिंग व्यवस्था नहीं की गई थी, यद्यपि स्थापित एल.टी. मीटरिंग में माह का एवरेज पावर फैक्टर दर्शाने की सुविधा थी तथा 100 एच.पी. एवं उससे अधिक 150 एच.पी. तक के निम्नदाब उपभोक्ताओं की रीडिंग प्रतिमाह आवेदक या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में मीटर रीडिंग लेते समय मीटर रीडिंग इन्स्ट्रूमेंट के माध्यम से मीटर की पूरे माह की कार्य प्रणाली का डाटा डान लोड किया जाता था जिसमे माह के एवरेज पावर फैक्टर की जानकारी भी होती थी, जिसे रजिस्टर में दर्ज किया जाता था तथा उस पर आवेदक/ उनके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर लिये जाते थे। इस प्रकार आवेदक को माह के एवरेज पावर फैक्टर की जानकारी प्रति माह रहती थी।

12 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक के माह अप्रैल 2003 से अक्टूबर 2003 के मासिक देयक में पावर फैक्टर इन्द्राज मात्र उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र— अण्डर टेकिंग दिनांक 24.3.2003 (एनेक्टस-1) के आधार पर ही नहीं किया गया था।

13 अनावेदक द्वारा विद्युत शिकायत निवारण फोरम में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार यह स्पष्ट है कि आवेदक के परिसर में लगाये गये मीटर में एवरेज पावर फैक्टर रिकार्ड करने की सुविधा थी परन्तु अभिलेख से स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माह के अंत में जब मीटर रीडिंग ली जाती थी तब ही

मीटर के पैरा मीटर डाउनलोड किये जाते थे जिसमें अन्य पैरा मीटर के अलावा पावर फैक्टर भी शामिल थे जिसकी की पुष्टि तर्क के दौरान आवेदक द्वारा भी की गई।

14 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक के परिसर में नया मीटर दिनांक 14.4.2004 को एल.टी. साइड स्थापित किया गया जिसमें कि इंस्टैंटेनियस (instantaneous) पैरा मीटर रिकार्ड करने की सुविधा थी एवं उनके द्वारा नये मीटर स्थापित करने के पश्चात के 6 माह के रीडिंग स्टेटमेंट एवं देयक प्रस्तुत किये जिसमें कि इस अवधि में दर्ज की किये गये पावर फैक्टर का भी उल्लेख है।

उपरोक्त दस्तावेज एवं लिखित वहस एवं तर्कों के आधार पर यह स्पष्ट है कि—

अ आवेदक के यहाँ पूर्व में 145 एच.पी. का निम्नदाब कनेक्शन दिया गया था जिसमें मध्यप्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग भोपाल की अधिसूचना दिनांक 30.11.2002 (प्रभावशील दिनांक 19.12.2002) के परिपालन में 120 केवीए उच्चदाब कनेक्शन में परिवर्तित कर दिया गया, जबकि मीटरिंग निम्नदाब साइड ही हो रही थी।

ब आवेदक के निम्नदाब विद्युत कनेक्शन में संयोजित भार के अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 6.15 के प्रावधान अनुसार उचित क्षमता के कैपेसिटर स्थापित किये गये थे जिसके कारण उन्हें निम्नदाब बिलिंग में निम्न पावर फैक्टर सरचार्ज की बिलिंग नहीं हो रही थी।

स आवेदक द्वारा दिनांक 25.3.2003 को सहमति पत्र दिया गया (एनेक्सर-1) जिसमें इस बात का उल्लेख है कि जब तक शासन एवं विद्युत मण्डल द्वारा इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक हम विद्युत देयक का भुगतान पावर फैक्टर अधिभार के बिना करेंगे तथा अंतिम निर्णय के पश्चात वे निर्णय के तहत पावर फैक्टर की राशि का भुगतान मांगा जाता है तो वे भुगतान हेतु बाध्य रहेंगे। सहमति पत्र में इस बात का उल्लेख था कि वे स्वीकृत भार के अनुरूप कैपेसिटर चालू हालत में स्थापित किये गये हैं।

15 अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (एनेक्सर-2) जिसमें कि इस बार का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ऐसे निम्नदाब कनेक्शन जिनका कि संयोजित भार 100 एच.पी. से अधिक है, को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश वर्ष 2002-03 के अनुसार निम्न पावर फैक्टर का सरचार्ज जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक कि आवेदक के यहाँ उच्चदाब मीटर नहीं लगा दिया जाता। इस प्रकरण में आवेदक द्वारा अपने यहाँ स्वयं का ट्रांसफार्मर नहीं स्थापित करने के कारण मीटरिंग एल.टी. साइड ही यथावत रखी गई। इस बात का भी उल्लेख किया गया कि इंस्टैंटेनियस (instantaneous) पैरा मीटर अभिलेखित होने की सुविधा नहीं होने के उपरांत भी मीटर की एम.आर.आई. महिने के अंत में रीडिंग लेते समय एवरेज पावर फैक्टर का डाटा डाउनलोड होता है तथा एमआरआई की प्रति आवेदक के मांगने पर उन्हें उपलब्ध कराई जा सकती थी। अतः स्पष्ट है कि केवल माह के अंत में जब अनावेदक द्वारा रीडिंग ली जाती थी उसी समय उस माह में एवरेज पावर फैक्टर कितना रिकार्ड हुआ है की जानकारी प्राप्त होती थी, अर्थात् आवेदक इस स्थिति में नहीं था कि वो माह की खपत के दौरान यह देख सके कि उनका पावर फैक्टर कितना रिकार्ड हो रहा है। आवेदक सुनिश्चित था कि उसके परिसर में संयोजित भार के अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 6.15 के प्रावधान अनुसार निर्धारित क्षमता के कैपेसिटर लगे हुए थे, अतः पावर फैक्टर निर्धारित सीमा में संधारित हो रहा होगा, क्योंकि पूर्व में निम्नदाब विद्युत कनेक्शन के तहत हो रही बिलिंग में निम्नदाब पावर फैक्टर सरचार्ज की बिलिंग नहीं की गई थी। अतः अनावेदक का यह कहना कि आवेदक के कहने पर उन्हें पावर फैक्टर की जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती थी उचित एवं न्याय संगत नहीं है क्योंकि आवेदक को किसी

भी समय विद्युत उपयोग के समय इस बात की जानकारी होती रहनी चाहिए थी कि उनके समुचित क्षमता के कैपेसिटर लगाने के उपरांत भी उनका पावर फैक्टर कितना रिकार्ड किया जा रहा है और यह जब संभव था जब आवेदक के यहाँ इंस्टैंटेनियस (instantaneous) पैरा मीटर देखने की सुविधा उपलब्ध हो।

आवेदक के यहाँ स्थापित एल.टी. साइड मीटर को जिसमें कि एवरेज पावर फैक्टर महिने के अंत में पैरा मीटर डाउनलोड करने की सुविधा थी, को अप्रैल 2004 से बदलकर नया मीटर स्थापित किया जिसमें कि इंस्टैंटेनियस (instantaneous) पैरा मीटर अभिलेखित होने की सुविधा थी। अनावेदक द्वारा उक्त मीटर स्थापित करने के पश्चात के 6 माह की रीडिंग एवं बिलिंग स्टेटमेंट प्रस्तुत किये हैं। (एनेक्सर-4 पेज 24 से 43) जिसका अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि आवेदक के यहाँ मीटर बदलने के पश्चात किसी भी माह पावर फैक्टर 0.8 से कम रिकार्ड नहीं हुआ। जबकि आवेदक द्वारा अपने परिसर में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया तथा पूर्व में जो कैपेसिटर उनके द्वारा स्थापित किये गये थे वे इस अवधि में भी लगे एवं क्रियाशील थे। अतः पुराने मीटर से दर्ज किया गया निम्न पावर फैक्टर संदेहप्रद प्रतीत होता है।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2002-03 के टैरिफ आदेश में एवरेज मंथली पावर फैक्टर का उल्लेख निम्नानुसार किया गया है-

For this purpose, the "average monthly power factor" is defined as the ratio of total Kilo Watt hours to the total kilo volt Ampere hours recorded during the month. This ratio will be rounded off to two figures, 5 or above in the third place of decimal being rounded off to the next higher figure in the second place of decimal.

16 अनावेदक द्वारा विवादित अवधि अप्रैल 2003 से अक्टूबर 2003 की अवधि के प्रस्तुत किये गये मीटर रीडिंग स्टेटमेंट के अनुसार (एनेक्सर-4 पेज 2 से 23) में इस अवधि में दर्ज किलोवाट एवं केवीए (3 प्रतिशत ट्रांसफार्मेशन चार्जस को जोड़कर) का विवरण प्रस्तुत किया। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रैल से अक्टूबर 2003 की अवधि के बीच में किलोवाट एवं केवीए का अनुपात निकालने पर किसी भी माह में पावर फैक्टर 0.8 से कम नहीं प्राप्त होता है। जबकि इस अवधि में माह के अंत में एमआरआई के द्वारा डाउनलोड किये गये एवरेज पावर फैक्टर क्रमशः 0.75, 0.87, 0.78, 0.74, 0.83, 0.88 एवं 0.86 रिकार्ड हुआ है। अतः इस प्रकार उपरोक्त आंकड़ों से पूर्व में स्थापित मीटर द्वारा दर्ज किया गया पावर फैक्टर संदेहप्रद है। इस बात की पुष्टि स्वयं अप्रैल 2004 में नये मीटर लगाने के पश्चात दर्ज पावर फैक्टर के आंकड़ों से होती है जिसमें कि पावर फैक्टर कभी भी 0.8 से नीचे नहीं गया है।

यदि अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत पर पावर फैक्टर की गणना दर्ज किलोवाट एवं केवीए के अनुपात के अनुसार की जाती तब भी उनके मीटर द्वारा दर्ज की गई माह के अंत में दर्शाये गये पावर फैक्टर की भिन्नता होने का पता चल सकता था।

अतः उपरोक्त दस्तावेज एवं तर्क से यह निष्कर्ष निकलता है कि -

(i) आवेदक के विद्युत कनेक्शन के विरुद्ध जब तक एल.टी. में बिलिंग होती रही तब तक अनावेदक द्वारा यह मानते हुए कि आवेदक द्वारा सही क्षमता के कैपेसिटर लगाये गये हैं जिसके कारण निर्धारित सीमा तक पावर फैक्टर संधारित हो रहा है। इसलिए निम्न पावर फैक्टर सरचार्ज की बिलिंग नहीं की गई और जैसे ही निम्नदाब विद्युत कनेक्शन को उच्चदाब कनेक्शन में परिवर्तित किया गया तो उसी मीटर जिसमें कि एमआरआई द्वारा डाटा डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध थी निम्न पावर

फैक्टर की बिलिंग प्रारंभ कर दी गई। जबकि परिसर में उसी क्षमता के एल.टी. कैपेसिटर चालू हालत में थे। (एनेक्सर-1 में भी उल्लेख किया गया है) अतः अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्नदाब एवं उच्चदाब बिलिंग में दौहरी नीति के अनुसार निम्न पावर फैक्टर की बिलिंग करना न्याय संगत नहीं है तथा जैसे ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नया मीटर आवेदक के परिसर में लगाया गया वैसे ही पावर फैक्टर स्वतः सुधर कर कभी भी किसी भी माह में 0.8 से कम दर्ज नहीं हुआ, जो इस बात को इंगित करता है कि पूर्व में स्थापित मीटर द्वारा पावर फैक्टर सही ढंग से रिकार्ड नहीं किया जा रहा था।

(ii) यदि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश वर्ष 2002-03 के तहत अनावेदक द्वारा निम्नदाब कनेक्शन से उच्चदाब कनेक्शन में बिलिंग परिवर्तित करते समय इंस्टैंटेनियस (instantaneous) पैरा मीटर रिकार्ड करने के मीटर एल.टी. साइड लगा दिया जाता तो मीटर द्वारा सही पावर फैक्टर दर्ज किया जाता एवं आवेदक को उक्त अवधि में निम्न पावर फैक्टर के सरचार्ज का भुगतान नहीं करना पड़ता अथवा पुराने मीटर द्वारा दर्ज किलोवॉट एवं केवीए के अनुपात की गणना मीटर में दर्ज पावर फैक्टर से तुलना की जाती तब भी इस स्थिति में भी दोनों पावर फैक्टर की भिन्नता देखकर सही पावर फैक्टर को सुनिश्चित किया जा सकता था। परन्तु अनावेदक द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः निम्न पावर फैक्टर सरचार्ज के विरुद्ध की गई वसूली निरस्त करने योग्य है।

अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर आदेशित किया जाता है कि –

अ अनावेदक द्वारा अप्रैल 2003 से अक्टूबर 2003 तक निम्न पावर फैक्टर सरचार्ज के विरुद्ध निकाली गई रिकवरी को निरस्त किया जाए।

ब यदि आवेदक द्वारा इस रिकवरी के विरुद्ध कोई राशि जमा कर दी गई है तो उसका समायोजन आगामी विद्युत देयकों में किया जाए।

17 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो। आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित।
3. फोरम की ओर प्रेषित।

विद्युत लोकपाल